

online
2018/00082

37
2018

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नांक/राजस्व/2018/ 1180

दिनांक:-23.03.2018

तहसीलदार
श्रीमाधोपुर।

26

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व प-6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प. 3 (2) राज-6/2003 /पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619-44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 28-53/राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 7/राजस्व/2018 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व भिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू होकर ढाणी बागियों नांगल से प्रारम्भ होकर त्रिलोकपुरा-श्रीमाधोपुर मुख्य सड़क को जोड़ता है। जो सार्वजनिक काम में काम आ रहा है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध व रुकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशांषा की है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व भिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 की प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते गैर मुमकिन रास्ता के रूप दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि निम्न खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै.मु. रास्ते में आने वाली भूमि का लगान म किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का पालन करेंगे। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे।

क्र.सं.	नाम मण्डल	पटवार	राजस्व ग्राम	खसरा न.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	नांगल		नांगल	2612	0.04 हैक्टर चाही 2	0.0400 हैक्टर
2.	नांगल		नांगल	2602	0.02 हैक्टर चाही 2	0.0050 हैक्टर
3.	नांगल		नांगल	2601	0.05 हैक्टर चाही 2	0.0050 हैक्टर
4.	नांगल		नांगल	2600	0.05 हैक्टर चाही 2	0.0050 हैक्टर
5.	नांगल		नांगल	2618	1.05 हैक्टर चाही 2	0.0100 हैक्टर
6.	नांगल		नांगल	2599	0.60 हैक्टर बारानी 1	0.0250 हैक्टर
7.	नांगल		नांगल	2598	0.06 हैक्टर चाही 2	0.0100 हैक्टर
8.	नांगल		नांगल	2597	0.36 हैक्टर बारानी 3	0.0060 हैक्टर
9.	नांगल		नांगल	2613	0.03 हैक्टर गै.मु.चाह	0.0100 हैक्टर

संलग्न:- प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)